प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में अपीलकर्त्ता के द्वारा सरकारी कार्य में सहयोग नहीं करने, किरासन तेल की कालाबाजारी हेतु अवैध भंडारण करने, अनुज्ञप्ति के शर्त्तो एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उनसे पुनः कारण पृच्छा की मांग की गई। अपीलकर्त्ता द्वारा पुनः दाखिल कारण पृच्छा को भी निम्न न्यायालय द्वारा संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उनके अनुज्ञप्ति को तत्कालीन प्रभाव से रद्द किया गया।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि उनके विरूद्ध कार्डधारियों द्वारा किसी प्रकार का शिकायत दर्ज नहीं किया गया है। वे नियमित रूप से दुकान का संचालन कर रहें है। ऐसी स्थिति में उनका अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के साथ बिनोद कुमार गुप्ता, मो0 बाउरीपाड़ा, दुमका के घर पर छापामारी की गई है। इसमें बिनोद कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि कालाबाजारी में अपीलकर्त्ता की भी संलिप्तता है किन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि बिनोद कुमार गुप्ता के घर से की गई जब्त सामग्री से उनका कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता के दुकान की अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए उनके दुकान से खाद्यान्न हस्तान्तरण कराते हुए वितरण करने का आदेश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को दिया गया। खाद्यान्न हस्तान्तरण के क्रम में अपीलकर्त्ता के भंडार का जांच नहीं किया गया था। उनके भंडार में अन्तर पाये जाने के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि वास्तव में इस कालाबाजारी में अपीलकर्त्ता की संलिप्तता थी अथवा नहीं। मात्र बिनोद कुमार गुप्ता से पूछताछ के दौरान बताये गये आधार पर ही उनका अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। उनके विरूद्ध किसी भी कार्डधारियों के द्वारा कोई भी शिकायत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के दावों पर जांचोपरान्त पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता के दावों पर पुनर्विचार करते हुए उचित आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।

(168)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 12/2016–17

राजेश कुमार पासवान ..... अपीलकर्ता

बनाम

सरकार ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

31/01/2017 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 12/2016–17 राजेश कुमार पासवान, पे0 स्व0 रामेश्वर राम, घाटरसिकपुर, दुमका बनाम् सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका आदेश सं0 202/2016, ज्ञापांक 756/अनु0आ0 दिनांक 03.12.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के साथ विनोद कुमार गुप्ता, पिता घनश्याम प्रसाद साह, मोहल्ला बाउरीपाड़ा, दुमका के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जब्त किरासन तेल के संबंध में श्री गुप्ता से पूछताछ में किरासन तेल का अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी में राजेश कुमार पासवान (अपीलकर्त्ता) जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम–पंचायत– हिजला, प्रखंड दुमका की संलिप्ता पाई गयी। किरासन तेल के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी के आरोप में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7EC एवं भा.द.वि. की धारा 411, 414 एवं 23 पेट्रोलियम एक्ट के अन्तर्गत थाना कांड सं0 202/16 दिनांक 23.08.2016 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपीलकर्त्ता पर प्राथमिकी दर्ज होने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से अपीलकर्त्ता के दुकान की भंडार एवं वितरण पंजी तथा उनके द्वारा बरती जा रही अन्य अनियमितताओं के संबंध में प्रतिवेदित करने का आदेश दिया गया। किन्तु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा जांच के क्रम में उनका दुकान बन्द पाया गया एवं इनसे बार–बार सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। फलतः उनके अनुज्ञप्ति को निलंबन करते हुए उनके दुकान से संबंधित कार्डधारियों को उसी पंचायत के नजदीकी विक्रेता के साथ सम्बद्ध करने की अनुशंसा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।